

email: cfbhagi-forest-uk@nic.in

फोन / फैक्स-0135-2431159.



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक - 264 / 12-1 दिनांक, मुनिकीरेती 17 / 08 / 2020,।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत खोला धारपयांकोटी मोटर मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्थालसौड पनचाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 कि०मी०) के प्रस्ताव का प्रेषण। FP/UK/ROAD/42172/2019.

सन्दर्भ :-

प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी का पत्रांक-188 / 12-1, दिनांक- 27.07.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी मूल प्रति सहित 3 प्रतियों में संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय

(एन० एन० पाण्डेय)
वन संरक्षक

संख्या -

उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि - प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(एन० एन० पाण्डेय)
वन संरक्षक

भाग-III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्तावक संख्या-FP/UK/ROAD/42172/2019.

प्रस्ताव का नाम- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत खोला धारपायांकोटी मोटर मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसौड पनयाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 कि०मी०) के प्रस्ताव का प्रेषण।

1. स्थल, जहाँ को वन भूमि शामिल की गयी है
क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख
और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। नही
2. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत है। हाँ
3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। संस्तुति की जाती है।

तिथि

स्थान-मुनिकीरेती।

नाम और पदनाम

हस्ताक्षर

(एन० एन० पाण्डेय)
वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य संरक्षक अथवा
अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए
राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकृ
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि.....

स्थान-मुनिकीरेती।

नाम और पदनाम

हस्ताक्षर: